राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1340/2015/नागौर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
मकराना (नागौर)। .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसस मारुती साल्ट कम्पनी,
नावासिटी, नागौर। .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :
श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से
अनुपस्थित। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :31.07.2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 184/13–14/प्रवेश कर/मकराना में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 25.05.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलीय अधिकारी ने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत–मकराना (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 12 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 07.11.2013 के जरिये कायम की गयी मांग राशि प्रवेश कर रुपये 1,13,307/– तथा ब्याज रुपये 34,491/– कुल रुपये 1,47,798/– को अपास्त किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा व्यवहारी के आलोच्य वर्ष 2010–11 में खरीदे गये माल रुपये 28,32,633/– का माल HDPE/LDPE Bages राज्य के बाहर से खरीद मानते हुये खरीद पर 4 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर रुपये 1,13,307/– आरोपित किया तथा इस प्रवेश कर के विलम्ब मानते हुये ब्याज रुपये 34,491/– आरोपित कर कुल रुपये 1,47,798/– की वसूली के आदेश पारित किये। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जिनका निस्तारण करते हुए अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुये आरोपित मांग राशियों को अपास्त किया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

4. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक अपीलीय ने अधिकारी के आदेश को अविधिक बतलाया एवं सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित मांग राशियों को पुनः बहाल करने का निवेदन करते हुये विभाग की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया, एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी को प्रस्तुत नोटिफिकेशन दिनांक 14.02.2008 के अनुसार व्यवसायी को पैकिंग मैटेरियल की खरीद पर 100 प्रतिशत कर से छूट प्राप्त है, क्योंकि व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत जिला उद्योग केन्द्र, नागौर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 18.07.2011 के अनुसार व्यवसायी के कार्य को निर्माणकर्ता की श्रेणी में माना है, तथा इसे स्माल ईकाई का दर्जा दिया है। अतः राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन संख्या F.12(99)FD/Tax/07-65 दिनांक 14.02.2008 के अनुसार व्यवसायी को पैकिंग मैटेरियल पर प्रवेश कर की शत–प्रतिशत छूट प्राप्त है। इसी प्रकार माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा इस बिन्दु पर निर्णय दिनांक 23.02.2016 मैसर्स श्रीश्याम इण्ड. हनुमानगढ बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, श्रीगंगानगर 45 टैक्स अपडेट 35 में विस्तृत व्याख्या की गई है कि दिनांक 14.02.2008 को सूक्ष्म, लघु व मध्यम ईकाइयों को कर मुक्ति अथवा कम दर से कर देयता लागू होगी एवं इस संबंध में दिनांक 16.01.2009 की अधिसूचना F.2(10)2006/MSME-Policy की विस्तृत विवेचना की गयी है। MSME regulation Act 1951 की अनुसूची प्रथम में अंकित उद्योगों के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योगों को भी MSME में सम्मिलित करने से सभी तरह के उद्योग दिनांक 14.02.2008 के कर मुक्ति के लाभ के हकदार है।

6. उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है, एवं राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(वी.श्रीनिवासन)
अध्यक्ष